

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38242/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02.05.2017) दिनांक 24.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह, जो- बरूआ खुर्द, थाना-कांट, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.01.2002 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक व तमंचे से फायर कर सुरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की एवं 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-282/2002 एवं 976/2002 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 18.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोवेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.01.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक व तमंचे से फायर कर सुरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-47514) पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोपरि।**

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-549/2018/2858(1)/22-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

दिनांक 12 जुलाई, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह, जो-बरूआ खुर्द, थाना-कांट, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.01.2002 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक व तमंचे से फायर कर सुरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की एवं 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-282/2002 एवं 976/2002 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 18.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 04.01.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक व तमंचे से फायर कर सुरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री नन्हकू सिंह उर्फ दिनकू सिंह को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।